उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 30 माघ, शक संवत् 1947

(19 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का आयुष पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-10 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन की मेज पर रखेंगे।

3-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के कार्यकलापों पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-14 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन की मेज पर रखेंगे।

4-उप मुख्य मंत्री, रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज, बांदा द्वारा किये जा रहे वित्तीय अनियमितताओं एवं घोटालों तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच करवाकर संलिप्त दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं कठोरतम कार्यवाही करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त' व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-उप मुख्य मंत्री, जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-पल्हना की स्वास्थ्य इकाई का गठन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री शाहनवाज खान, सदस्य,

विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ की पश्चिम विधान सभा के अन्तर्गत राजाजीपुरम क्षेत्र में शीतला देवी मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री मुकेश शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति में वरीयता अंक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-उप मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई के अहिरोरी में वर्ष 2023-24 में तैनात चिकित्सा अधीक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-मुख्य मंत्री, प्रदेश में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों पर आये दिन हो रहे अत्याचारों से सुरक्षा हेतु सेवारत/भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक बनाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-उप मुख्य मंत्री, कोविड-19 में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 2020 से 2022-23 तक प्रदेश सरकार द्वारा समायोजित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य विधान परिषद्, स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनावों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये विधायी प्रतिनिधित्व न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-उप मुख्य मंत्री, के0जी0एम0यू0 में तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों, जो विधिपूर्वक सेवा विनियमित किये गये हैं, सेवा-नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर पदोन्नति, पेंशन अन्य सेवायोजन लाभ प्रदान किये जाने की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अक्षय प्रताप सिंह व श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-उप मुख्य मंत्री, जनपद-चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर के जिला चिकित्सालयों में हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग चिकित्सक आदि में एक अच्छा सर्जन एवं फिजीशियन की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-महिला कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग में वर्ष 2019 से उप निदेशकों के पद पर पदोन्नति न होने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

15-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-जमरेही सानी, विकास खण्ड-रामपुरा, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

16-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-परसा, विकास खण्ड-चिरगांव, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

17-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सैनिक विहार कालोनी, सी-ब्लाक, वार्ड नम्बर-41, जनपद-मेरठ के निवासियों की ओर से सड़क व नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

18-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चतुर्थ दिवस)।

19-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार जारी :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय विस्तारीकरण की महत्वाकांक्षी योजना में बाधक बने भू-माफियाओं पर अंकुश लगाते हुये कठोर कार्यवाही की जाय।"

20-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि विधान मण्डल सदस्यों को क्षेत्र विकास हेतु मिलने वाली विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को जी0एस0टी0 से बाहर रखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।"

21-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शोभा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा, विकास का अनिवार्य भाग है।"

लखनऊ :
गुरुवार, 30 माघ, शक संवत् 1947
(19 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

19 फरवरी, 2026 | विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2026) का द्वितीय गुरुवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	2-2-2026
*2	2-2-2026
*3	2-2-2026
*4	5-2-2026
*5	5-2-2026
*6	5-2-2026
*7	5-2-2026
*8	11-2-2026
*9	12-2-2026
*10	12-2-2026
*11	12-2-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	6-2-2026
2	6-2-2026
3	6-2-2026
4	6-2-2026
5	6-2-2026
6	8-2-2026
7	8-2-2026
8	9-2-2026
9	11-2-2026

नत्थी 'क'

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

श्री आशुतोष सिन्हा
1

*1-[अन्तरित]

आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में विगत तीन वर्षों में कुपोषित बच्चों को पोषणयुक्त बनाने हेतु किये गये उपायों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
2

*2-(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में विगत तीन वर्षों से कितने कुपोषण के शिकार बच्चे चिन्हित किये गये ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री

(ख) उक्त कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषणयुक्त बनाने हेतु कौन-कौन से उपाय किये गये तथा कितने बच्चों को कुपोषण से बचाया गया ?

(ग) क्या उक्ते कुपोषित बच्चों के निमित्त सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ?

(घ) क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-वाराणसी में गंगा नदी पर सरकारी व प्राइवेट क्रूज के संचालन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
3

पर्यटन मंत्री

*3-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में गंगा नदी पर कितने सरकारी व प्राइवेट क्रूज चल रहे है ?

(ख) उक्त क्रूजों के संचालन के मानक क्या है ?

(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
4

उप मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, तथा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सम्बन्धी कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(ख) क्या मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा निजी क्षेत्रों में संचालित अधिकृत एवं अनाधिकृत नर्सिंग होमों को लाभान्वित करने हेतु इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभाग द्वारा उपलब्ध डिजिटल एक्स-रे एवं हेल्थ ए0टी0एम0 की मशीनें वर्षों से बन्द करा दी गयी है ?

(ग) क्या उक्त की उच्च्य स्तरीय जाँच कराकर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करके पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम व जनपद-आयोध्या के श्री राम जी मंदिर में सुगम दर्शन व्यवस्था के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
5

मुख्य मंत्री

*5-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम व जनपद अयोध्या के श्री राम जी मन्दिर में सुगम दर्शन हेतु कोई शुल्क निर्धारित किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष में कितने दर्शनार्थियों द्वारा सुगम दर्शन का टिकट लिया गया है ?

(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों

जनपद-सिद्धार्थनगर में स्थित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज में हृदय रोग के चिकित्सकों/शिक्षकों की संख्या व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
6

*6-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में स्थित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज में हृदय रोग के चिकित्सकों/शिक्षकों की संख्या संवर्गवार कितनी-कितनी है तथा उनके नाम एवं उनकी योग्यता क्या-क्या हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या इस प्रदेश के भाजपा के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष के नाम से संचालित हृदय रोग की जाँच सम्बन्धी सुविधाओं जैसे ईको, टी0एम0टी0 आदि की व्यवस्था इस मेडिकल कालेज में अभी तक नहीं है ?

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

(घ) उक्त मेडिकल कालेज में यह व्यवस्था कब तक लागू करायेंगे ?

एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को दूसरे प्रदेशों की तरह नियमित करने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
7

*7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को दूसरे प्रदेशों की तरह नियमित करने की योजना है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा प्रेषित-पत्र जो उप सचिव, पशु चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में था, के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव
8

*8-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि जिलाधिकारी उन्नाव का पत्रांक संख्या-879/जिला0पत्रां0/2025/डि0सी0वी0ओ0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 जो उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, पशुधन को प्राप्त हुआ है ?

पशुधन मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा जांच कराकर की गयी ?

(घ) क्या उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण विभाग में भ्रष्टाचार पोषित वार्षिक मूल्यांकन पद्धति से संविदा विस्तार के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 9 — उप मुख्य मंत्री

*9-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण विभाग में भ्रष्टाचार पोषित वार्षिक मूल्यांकन पद्धति से संविदा विस्तार समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(ख) स्वतः नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाने में क्या समस्या है, जब केन्द्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त है ?

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बावजूद भी नवीनीकरण प्रक्रिया में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये उक्त प्रक्रिया को करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

कानपुर मण्डल के निर्वाचन कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 10 — मुख्य मंत्री

*10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कानपुर मण्डल के निर्वाचन कार्यालय में कितने प्रधान सहायक किस जनपद में तैनात हैं तथा उनके नाम क्या है एवं किस जनपद में सम्बद्ध किये गये हैं ?

(ख) उक्त प्रधान सहायक पूर्व में सम्बद्ध जनपद में कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक (सम्बद्ध) के रूप में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ?

(ग) उक्त सम्बद्ध प्रधान सहायक मण्डल के जनपदों में कितने वर्षों से कार्यरत हैं उनके नाम व किस पद पर कितने-कितने वर्षों से कार्यरत हैं ?

(घ) क्या उक्त का स्थानान्तरण मण्डल से बाहर कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

उप महानिरीक्षक विशेष अनुसंधान दल, गोमतीनगर, लखनऊ का पत्र जो पशु चोरी के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पशुधन को सम्बोधित था, के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव
11

*11-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि उप महानिरीक्षक विशेष अनुसंधान दल, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्रांक संख्या एस0आई0जे0-77 जाँच/2018, दिनांक 03 जुलाई, 2020 जो पशु चोरी के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, पशुधन को प्राप्त हुआ है ?

पशुधन मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्रांक संख्या-77 को सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या थे ?

(ग) उक्त पत्रांक में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच किस सक्षम अधिकारी के द्वारा कराई गई तथा क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अनूप कुमार गुप्ता
1

1-(क) क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बताएंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्रेषित पत्र, पत्रांक सं0 221/BJPUP/2024, दिनांक 02-09-2024 जो जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत गेरावां में स्थित ''बाबा निर्वाण दास'' मठ-स्थली के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कराये जाने का आग्रह के सम्बन्ध में था ?

पर्यटन मंत्री

(ख) उक्त के सन्दर्भ में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 मान सिंह यादव
2

2-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-35 के उत्तर में पैरा 'ख' में यह कहा गया है कि कोई चिकित्सक UR (Ews) में साक्षात्कार के लिए नहीं आया था, अतः UR (Ews) में कोई चयन नहीं हुआ ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या Application Reference का अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुआ एवं अच्छे प्राप्तांक पाकर एक मात्र चिकित्सक था ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त चिकित्सक जिसने Ews के लिये apply किया, उसका नियुक्ति-पत्र कब तक जारी करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 3 — उप मुख्य मंत्री

3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-29 के उत्तरित प्रश्न के क्रम में बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं ?

(ख) प्रभारी चिकित्साधिकारी, डॉ0 राहुल मिश्रा एवं डॉ0 दिवाकर श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिबरामऊ में कब से तैनात हैं, का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात उपरोक्त चिकित्सकों का स्थानान्तरण करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 4 — उप मुख्य मंत्री

4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बताएँगे कि 'जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा न होने से स्थानीय मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 5 — उप मुख्य मंत्री

5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद के बरई जलालपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की नियमित उपस्थिति न होने से स्थानीय मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु डाक्टरों की समुचित व्यवस्था करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक अग्रवाल 6	6-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड-माधौगंज के ग्राम सभा-समुखा में राजकीय पशु चिकित्सालय का निर्माण किस वर्ष तथा कितनी लागत से कराया गया था ? (ख) उक्त पशु चिकित्सालय का निर्माण जिस उद्‌देश्य से कराया गया था, क्या उसकी पूर्ति हो रही है ? (ग) क्या उक्त पशु चिकित्सालय चिकित्सक के अभाव में वर्षों से बन्द है, जिससे जनता पशु चिकित्सीय सुविधाओं के लाभ से वंचित है ? (घ) क्या उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2025 जो प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ था ? (ङ) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? क्या उक्त चिकित्सक विहीन चिकित्सालय में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर दी गयी है ? (च) यदि हाँ, तो कब तक ? (छ) यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति प्रदान करायेंगे ?	पशुधन मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 7	7-(क) क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा नवागांव में उ0प्र0 मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के लिए कितने आवेदन किये हैं, किन्तु अभी तक उक्त योजना का लाभ आवेदकों के बच्चों को नहीं मिल पाया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त योजना का लाभ आवेदकों के बच्चों को दिलवायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला कल्याण मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 8	8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-निन्दूरा के	उप मुख्य मंत्री

बड्डूपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से रोगियों को असुविधा होती है ?

(ख) क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु चिकित्सकों की नियुक्ति करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे आदि जांच एवं दवाओं की सुविधा उपलब्ध है ?	उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन-कौन सी स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की गयी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन, विकास खण्ड रामपुरा के ग्राम पंचायत में जमरेही सानी में इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-जालौन, विकास खण्ड रामपुरा के ग्राम पंचायत में जमरेही सानी में इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य न करवाये जाने से ग्रामीणों को आने-जाने में काफी समस्या होती है। जबकि सड़क के निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-जालौन, विकास खण्ड रामपुरा के ग्राम पंचायत में जमरेही सानी में अमत सिंह कुशवाहा के मकान से राकेश तिवारी की दुकान की ओर सड़क लगभग 150 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी, विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचायत परसा में अन्त्येष्टि-स्थल का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-झांसी, विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचायत परसा में अन्त्येष्टि-स्थल का निर्माण कार्य न करवाये जाने तथा ग्राम में अन्त्येष्टि-स्थल न होने के कारण हम सभी ग्रामवासियों को काफी समस्या होती है। अन्त्येष्टि-स्थल निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-झांसी विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचायत परसा में अन्त्येष्टि-स्थल का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-मेरठ के अन्तर्गत सैनिक विहार कालोनी, सी0 ब्लाक, वार्ड नं0 41, देव पाल (सी0-133) के घर से अनुज मास्टर (सी0-139) के घर तक 85 मीटर सी0सी0 रोड व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-मेरठ के अन्तर्गत सैनिक विहार कालोनी, सी0 ब्लाक, वार्ड नं0 41, देव पाल (सी0-133) के घर से अनुज मास्टर (सी0-139) के घर तक 85 मीटर सी0सी0 रोड व नाले का निर्माण न होने के कारण तीनों तरफ की बनी सड़कों से पूर्व की बनी सड़क की ऊँचाई लगभग 06 इंच ऊँची है और नाली है। वहां सड़क, नाली न बनने व पानी की निकासी न होने से वर्ष पर्यन्त जलभराव एवं कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग से निकलने वाले राहगीर, क्षेत्रीय निवासी एवं स्कूली बच्चे आये दिन चोटिल होते रहते हैं, पानी जमा होने के कारण मच्छर आदि से बीमारी होने का खतरा बना रहता है। सड़क के निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-मेरठ के अन्तर्गत सैनिक विहार कालोनी, सी0 ब्लाक, वार्ड नं0 41, देव पाल (सी0-133) के घर से अनुज मास्टर (सी0-139) के घर तक 85 मीटर सी0सी0 रोड व नाले का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।